

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 34/2020

निर्णय दिनांक -22.06.2020

1. गोपाल लाल पिता प्रेमचन्द जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्रीमति लेहरी बाई पत्नी स्व0 प्रेमचन्द जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

- प्रार्थीगण

//वनाम//

1. प्रेमचन्द पिता श्री विजयराम जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़राज0।
2. दशरथ पिता जगदीश जी जाति आजना उम्र वयस्क निवासी नरसा खेडी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़राज0।
3. नदीम अजुम पिता मोहम्मद सईद खान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. नारायण पिता पृथ्वीराज जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. प्रकाश पिता भेरूलाल जी जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का फाचर अहीरान तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 27 की आराजी नं0 289 रकबा 0.1900 हैक्टैयर आराजी नं0 290 रकबा 1.9700 हैक्टैयर आराजी नं0 291 रकबा 0.4400 हैक्टैयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का फाचर अहीरान तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 27 की आराजी नं0 289 रकबा 0.1900 हैक्टैयर आराजी नं0 290 रकबा 1.9700 हैक्टैयर आराजी नं0 291 रकबा 0.4400 हैक्टैयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में भेय करे।

आज दिनांक 22.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
(निम्बाहेड़ा, राज.)

Scanned with Cam

